

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक- 1473/11-सी-अमरोहा/25152/2017, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 24, 2020  
सेवा में,

अतिरिक्त वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,  
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0-एच, अलीगंज,  
लखनऊ।

विषय:- अमरोहा-कॉट मार्ग (MDR-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दायीं पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 55 वृक्षों के पातन की अनुमति।


सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8वी0/यू0पी0/09/42/2017/एफ0सी0/563 दिनांक 03.01.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-2106/14-1 दिनांक 18.01.2020 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 19.12.2019 को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित एक प्रति में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
भवदीय  
2411


(पंकज मिश्र)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- 1473/11-सी-अमरोहा/25152/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
- 3- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18, सी एण्ड डी एस, उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।

oll

  
2411

(पंकज मिश्र)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।